स्वैच्छिक शमन योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

सचिव / संयुक्त सचिव

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार / रूड़की / लक्सर।

महोदय,

मै / हम, विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार संलग्न शमन मानचित्र शासनादेश संख्या–1152 / V-2-2017-105 (आ0) / 2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 में उल्लिखित शर्तो के अधीन अपने निर्माण को One Time Settlement स्वैच्छिक शमन के अन्तर्गत निमित आवेदन करता हूँ / करते है। विवरण निम्नवत है:–

1– आवेदन का दिनांक .....

2– आवेदक का नाम .....

3– पिता / पति का नाम .....

4– पूरा पता .....

.....

.....

5– दूरभाष संख्या .....

6– निर्मित निर्माण का उपयोग ''टिक करे'' (एकल आवास / व्यवसायिक भवन / आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान / आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम / क्लीनिक / ओ0पी0डी0 / पैथलोजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेन्टर / चाइल्ड केया / नर्सरी स्कूल / क्रैच / प्ले ग्रुप / विद्यालय इण्टरमीडिएट तक)

7– निर्माण स्थल का विवरण.....

8– संस्थित वाद संख्या (यदि कोई हो).....

9– यदि मानचित्र स्वीकृत है तो मानचित्र संख्या व दिनांक.....

10–शमन मानचित्र(04 प्रतियों में).....

11– शमन के सम्बन्ध में वास्तुविद/पंजीकृत लाईसेन्सी ड्राफ्टमैन / इंजीनियर एवं भू–स्वामी का संयुक्त शपथ–पत्र.....

12–स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख की प्रमाणित प्रति.....

(विक्रय विलेख / खसरा–खतौनी / दाखिल–खारीज)

13– नर्सिंग होम हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे (आई0टी0आर0 / बिजली–पानी का कार्मिशियल बिल / नगर निगम का एसेसमेन्ट Clinical Establishment Act के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन) बिल / टेलीफोन बिल / की प्रमाणित प्रति)

14– अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो.....

15– यथा आवश्यक अग्नि शमन व स्ट्रक्चरचरल सेफ्टी के मानको के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

16– प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शासनादेश संख्या–1152 / V-2-2017-105 (आ0) / 2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 के अधीन निर्मित निर्माण हेतु शमन शुल्क का स्वमूल्यांकन किया गया है। स्वमूल्यांकन के अनुसार कुल शमन शुल्क आदि की कुल धनराशि रूपये– अंको में.....शब्दो में..... में होती है जिसका 50 प्रतिशत धनराशि रूपये–.....का डी0डी0 / चैक जिसका विवरण निम्नवत है, संलग्न कर रहा हूँ।

17–चैक / डी0डी0 का विवरण

18– अन्य विववरण, यदि कोई हो,

19– संलग्न दस्तावेजो का विवरण–

आवेदक / आवेदकगण के हस्ताक्षर

संयुक्त शपथ–पत्र

समक्षः उपाध्यक्ष / सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

मै / हम.....उम्र.....पता.....
.....
.....एवं वास्तुविद सीए
नम्बर...../ पंजीकृत लाईसेन्सी ड्राफ्टमैन / इंजीनियर .....
.....संयुक्त रूप से सशपथ कथन करते हैः–

1. यह की शपथकर्ता द्वारा भूमि स्थित भूखण्ड / खसरा नं0 मौजा.....परगना.....मौ0.....
.....जिला.....क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर पर एकल आवासीय भवन के स्वैच्छिक शमन हेतु शमन मानचित्र तैयार किया गया है, जो प्राधिकरण के समक्ष शमन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि प्रश्नगत स्वैच्छिक शमन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या.....
..... के विपरित किये गये निर्माण अथवा बिना मानचित्र स्वीकृति के किये गये निर्माण जिसका वाद संख्या.....प्राधिकरण में योजित है, के सापेक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि प्रश्नगत निर्माण के सम्बन्ध में प्राधिकरण में कोई वाद योजित नहीं है। निर्माण को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन मानचित्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नगत निर्माण मेरे द्वारा वर्ष..... में निर्मित किया गया तथा भवन में बिजली / पानी / टेलीफोन का कनैक्शन वर्ष..
..... माह.....दिनांक..... को प्राप्त किया गया था।
4. यह कि प्रश्नगत निर्मित निर्माण के भूखण्ड में न तो कोई वृक्ष / विद्युतपोल विद्यमान है तथा न ही कोई विद्युत / पेयजल संयोजन / सीवर / टेलीफोन अथवा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक लाईन गुजर रही है।
5. यह कि प्रश्नगत निर्मित भवन किसी अवैध प्लाटिंग / उप विभाजन के अन्तर्गत नहीं है एवं स्थल के आस–पास प्राधिकरण द्वारा भवनो के मानचित्र स्वीकृत है।
6. यह की प्रश्नगत निर्मित निर्माण में किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा नाला / खाला / सड़क अथवा अन्य किसी सरकारी सम्पत्ति / भूमि का अतिक्रमण नहीं है।
7. यह कि पूर्व निर्मित निर्माण की मांपे, क्षेत्रफल प्रस्तुत मानचित्र की मांपो के अनुसार है।
8. यह कि प्रस्तुत शमन मानचित्र शमन उपविधि, भवन निर्माण उपविधि एवं महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग / शासनादेशो का अनुपालन करते हुये तैयार किया गया है।
9. यह कि आवदेनकर्ता प्रश्नगत भवन का स्वामी है एवं प्रश्नगत भवन / सम्पत्ति न तो सरकारी सम्पत्ति / सिलिंग की सम्पत्ति है। प्रश्नगत भवन / सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिग्रहण की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
10. यह कि प्रश्नगत सम्पत्ति / भवन अविवादित है और इसके सम्बन्ध मे कोई वाद / विवाद किसी भी न्यायालय / ट्रिब्यूनल / अधिकारी के समक्ष लम्बित नहीं है।
11. यह कि प्रश्नगत भवन / सम्पत्ति गंगा नदी तट से 200 मीटर की परिधि से बाहर स्थित है।
12. यह कि यदि भविष्य में प्राधिकरण को यह पता चलता है कि प्रस्तुत शपथ–पत्र वर्णित कोई भी तथ्य असत्य है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया है तो प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी शमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी एवं आवेदनकर्ता द्वारा निर्मित भवन / विकास कार्य ध्वस्त होने योग्य होगा। प्राधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि भविष्य में वास्तुविद द्वारा तैयार किये गये अन्य मानचित्रो को स्वीकार न करे तथा वास्तुविद के विरूद्ध सक्षम स्तर से उसका लाईसेंस निरस्त करा दे।

शपथकर्ता (आवेदक) शपथकर्ता(वास्तुविद/पंजीकृत लाईसेन्सी ड्राफ्टमैन / इंजीनियर)

घोषणा

हम, उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक.....को स्थान हरिद्वार / रूड़की / लक्सर ..... में सत्यापित करते है कि उपरोक्त शपथ–पत्र के चरण संख्या– 01 से 12 तक के कथन हमारे निजी ज्ञान सत्य व सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता (आवेदक) शपथकर्ता(वास्तुविद/पंजीकृत लाईसेन्सी ड्राफ्टमैन / इंजीनियर)

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–1152 / V-2-2017-105 (आ0) / 2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत एक बार समाधान योजना के तहत शमन /विनियमितीकरण हेतु One Time Settlement अन्तर्गत स्वैच्छिक शमन योजना लागू की गयी है। यह योजना दिनांक 31.12.2019 तक प्रभावी रहेगी। विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत एकल आवास / व्यवसायिक भवन / आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान / आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम / क्लीनिक / ओ0पी0डी0 / पैथलोजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेन्टर / चाइल्ड केयर / नर्सरी स्कूल / क्रैच / प्ले ग्रुप / विद्यालय इण्टरमीडिएट तक भवन निर्माणकर्ताओं द्वारा मानचित्र स्वीकृति के विपरित अथवा बिना मानचित्र स्वीकृति के किये गये अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश की शर्तो के अनुसार निर्माण को शमन कराया जा सकता है। यह योजना मात्र निर्मित एकल आवासीय भवनो के लिये लागू है। योजना के मुख्य आकर्षण निम्नवत है:–

1– आवासीय भू–उपयोग में पूर्व से निर्मित व्यवसायिक दुकान जिसका क्षेत्रफल 15 वर्गमी0 से 200 वर्गमी0 तक है तथा जो 06 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित है को आवासीय मानकों के अनुसार शमन किये जाने का प्राविधान है ।

2– आवासीय क्षेत्रों मे दिनांक 01.12.2018 के पूर्व से संचालित नर्सिंग होम /क्लीनिक /ओ0पी0डी0 /पैथलोजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेन्टर / चाईलड केयर के निर्मित भवनों को भूखण्ड क्षेत्रफल के अनुसार आवासीय उपयोग के निर्माण हेतु निर्धारित सैट बैक के अनुसार शमन किये जाने का प्राविधान है ।

3– एकल आवासीय भवनों के निर्माण में मानक से अधिक भू–आच्छादन एवं सैट बैकों को शमन किये जाने का प्राविधान है ।

4– दिनांक 01.12.2018 से पूर्व संचालित नर्सरी, स्कूल, क्रैच व प्लेग्रुप स्कूलों के लिए मानकों के अनुसार भूखण्ड /मार्ग /भू–आच्छादन में छूट प्रदान करते हुए शमन किये जाने का प्राविधान है ।

5– 7.50 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित इण्टरमीडिएट तक के विद्यालयों को शमन किये जाने का प्राविधान है ।

6– शमन गणना में भूमि मूल्य वर्तमान में प्रचालित सर्किल दर के आधार पर अनुमन्य है ।

7– आवेदक द्वारा अपने निर्माण की शमन गणना स्वंय करनी है ।

8– स्व आंकलित गणना राशि का 50 प्रतिशत आवेदन पत्र के साथ डी0डी0 /चैंक के माध्यम से जो हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के पक्ष में हरिद्वार में देय हो जमा करना होगा ।

9– स्व आंकलित गणना में 10 प्रतिशत से अधिकत के विचलन की दशा में विचलन वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा । शमन की राशि रू0– 5.00 लाख तक पर रू0–5000.00 आवेदन शुल्क तथा शमन शुल्क की राशि रू0– 5.00 लाख से अधिक होने की दशा में आवेदन शुल्क की राशि रू0–10000.00 देय होगी, जो Non Refundable है ।

10– यह समाधान योजना आपको एक बार में अन्तिम समाधान हेतु प्रदान की जा रही है यदि निर्धारित अवधि के अन्दर इस योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त नही होते है तो शासन /प्राधिकरण द्वारा निर्मित निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार सील /ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रदान किये गये अवसर का लाभ उठायें और अपने निर्माण को नियमित कराते हुए उसका उपयोग करें ।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सचिव / उपाध्यक्ष

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः / प्रशा02(क)–22 /217 / 2019–20 दिनांक अक्टूबर,2019

विषयः सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
1–दैनिक जागरण, हरिद्वार ।
2–दैनिक अमर उजाला, हरिद्वार ।

महोदय,

कृपया संलग्न सार्वजनिक सूचना इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि इसे अपने समाचार–पत्र के हरिद्वार संस्करण (सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद) के अंक दिनांक ..... में 10 गुणा 06 सेमी / कॉलम में प्रकाशित कराते हुये प्रकाशन तिथि में समचार–पत्र की प्रति एवं बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को उनके आदेश दिनांक 24.10.2019 के अनुपालन में अवलोकनार्थ ।
2. मुख्य वित्त अधिकारी को सूचनार्थ ।
3. श्री बृजेश कुमार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, को स्वैच्छिक शमन योजना से संबंधित समस्त दस्तावेज यथा–आवेदन पत्र, शपथ पत्र, सार्वजनिक सूचना, आवश्यक सूचना, कार्यालय आदेश एवं संबंधित शासनादेशों की प्रति इस निर्देश के साथ कि इसे प्राधिकरण की वेबसाइड पर डाउनलोड सुविधा सहित अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
4. गार्ड पत्रावली में अभिलेखार्थ।

सचिव,

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः / प्रशा02(क)–22 /217 / 2019–20 दिनांक अक्टूबर,2019

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–1152 / V-2-2017-105(आ0)/2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत एक बार समाधान योजना One Time Settlement के तहत शमन /विनियमितीकरण हेतु स्वैच्छिक शमन योजना दिनांक 31.12.2019 तक के लिए लागू की गई है । इस योजना में एकल आवास / व्यवसायिक भवन / आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान / आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम / क्लीनिक / ओ0पी0डी0 / पैथलोजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेन्टर / चाइल्ड केयर / नर्सरी स्कूल / क्रैच / प्ले ग्रुप / विद्यालय इण्टरमीडिएट तक के भवनों को एक बार समाधान योजना में सम्मिलित किया गया है ।

अतः हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त से संबंधित भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसर का लाभ उठाते हुए अपने निर्माणों को नियमानुसार शमन कराना सुनिश्चित करे तथा भविष्य में निर्माणों के विरूद्ध की जाने वाली सील एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से अपने निर्माण को सुरक्षित करें । तहसील हरिद्वार से संबंधित आवेदन पत्र मायापुर हरिद्वार स्थित कार्यालय में, तहसील रूड़की व भगवानपुर से संबंधित आवेदन रूड़की स्थित प्राधिकरण के शाखा कार्यालय तथा लक्सर तहसील हेतु लक्सर स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें । स्वैच्छिक शमन से संबंधित शासनादेश /आवेदन पत्र /शपथ–पत्र आदि प्राधिकरण की वेवसाइड www.onlinehrda.com पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करते हुए उसे डाउनलोड किया जा सकता है ।

हरबीर सिंह,
P.C.S
सचिव

दीपक रावत
I.A.S
उपाध्यक्ष

कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 1561 / प्रशा02(क)–22 /217 / 2019–20 दिनांक 25 अक्टूबर,2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–1152/V-2-2017-105(आ0)/2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 के अनुपालन में हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत One Time Settlement अन्तर्गत स्वैच्छिक शमन योजना लागू की गयी है। यह योजना दिनांक **31.12.2019** तक प्रभावी रहेगी। उक्त शासनादेश के अनुपालन में अनाधिकृत निर्माणों के शमन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर शासनादेश संख्या–1152 /V-2-2017-105 (आ0)/2013 दिनांक 27 अगस्त,2019 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1201 दिनांक 04.09.2019 तथा शासनादेश संख्या–1272 दिनांक 13.09.2019 भवन निर्माण / विकास उपविधि एवं महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग / शासनादेशनुसार एवं वर्तमान शासनादेश अनुरूप शमन गणना की जायेगी।

(1) प्राप्त आवेदन पत्रों पर क्षेत्रीय अवर अभियन्ता / मानचित्रकार द्वारा प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण स्थल का भू–उपयोग सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) भू–उपयोग आख्या के उपरान्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा उक्त शासनादेश के अनुसार शमन गणना तैयार कर सहायक अभियन्ता को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) सहायक अभियन्ता द्वारा शमन गणना का परीक्षण करते हुये अपनी संस्तुति सहित पत्रावली गणना की जॉच हेतु लेखानुभाग को प्रेषित की जायेगी।

(4) लेखानुभाग द्वारा गणना की जॉच करते हुये मुख्य वित्त अधिकारी के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(5) स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत प्राप्त शमन आवेदन पत्रो के संकलन हेतु एक पंजिका मुख्यालय हरिद्वार, शाखा कार्यालय रूड़की एवं लक्सर हेतु पृथक–2 तैयार की जायेगी। पंजिका में समस्त विवरणो का अंकन करते हुये शासनादेश के अनुसार प्रत्येक माह सूचना शासन को प्रेषित किया जायेगा। शाखा कार्यालय रूड़की एवं लक्सर द्वारा प्रगति की सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा मुख्यालय द्वारा सूचना संकलित करते हुये शासन को प्रेषित किया जायेगा। रूड़की शाखा कार्यालय पर स्वैच्छिक शमन पंजिका का रखरखाव एवं मुख्यालय को समय से सूचना प्रेषण का दायित्व श्री अशोक कुमार तिवारी, कनिष्ठ सहायक तथा लक्सर शाखा कार्यालय पर स्वैच्छिक शमन पंजिका का रखरखाव एवं मुख्यालय को समय से सूचना प्रेषण का दायित्व श्री विनय कुमार सक्सेना, कनिष्ठ सहायक एवं मुख्यालय पर स्वैच्छिक शमन पंजिका का रखरखाव का दायित्व श्री विपिन नौटियाल, डा0ए0ओ0 का होगा। मुख्यालय एवं शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन करते हुये शासन को सूचना प्रेषित किये जाने का दायित्व श्री विनोद कुमार राव, प्रशासनिक अधिकारी का होगा।

(6) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण पृथक से रखा जाना है । प्राप्त धनराशि का मदवार विवरण लेखानुभाग द्वारा किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ससमय निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को उनके आदेश दिनांक 24.10.2019 के अनुपालन में अवलोकनार्थ ।
2. मुख्य वित्त अधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता / समस्त सहायक अभियन्ता / समस्त अवर अभियन्ता / लेखानुभाग /वरिष्ठ सहायकों /कनिष्ठ सहायकों /श्री अशोक कुमार तिवारी, शाखा कार्यालय रूड़की एवं श्री विनय कुमार सक्सेना, शाखा कार्यालय लक्सर /श्री विपिन नौटियाल, डा0ए0ओ0 को अनुपलनार्थ।
3. श्री बृजेश कुमार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त समस्त शासनादेश व आवेदन पत्रों के प्रारूपों को प्राधिकरण की वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
4. गार्ड पत्रावली में अभिलेखार्थ।

सचिव

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार